राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :– ई–18 / एम / वॉल्यूम–I / 2019 / दिनांक :

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी / रूल्स / 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री विक्रम, कनिष्ठ सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतसीसर, रतनगढ, चूरू जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 13.10.2014 है तथा दिनांक 12.10.2016 को दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करली है। कार्मिक द्वारा दिनांक 12.03.2019 को आरएससीआईटी उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(1)कार्मिक / क–2 / 2013 जयपुर दिनांक 04.05.2017 के अनुसरण में परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करने के पश्चात आरएससीआईटी परीक्षा उत्तीर्ण दिनांक 12.03.2019 से रूपये 20800(लेवल–5) पर वेतन नियतन किया जाता है।

कर्मचारी को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि का नकद लाभ देय होगा।

Sd/-
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक :– ई–18 / एम / वॉल्यूम–I / 2019 / 2075 दिनांक : 30/09/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ, चूरू।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतसीसर, रतनगढ, चूरू।(संलग्नः–केकेसी एकेडमी मूल प्रमाण पत्र)
3. श्री विक्रम, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. आदेश / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर